भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 82
उत्तर देने की तारीख: 19.07.2021

करोना के दौरान शिक्षा

†82. **एडवोकेट डीन कुरियाकोस**:
श्री शंकर लालवानी:
सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कोविड-19 के कारण छात्रों के शिक्षा स्तर में आए व्यवधान के प्रभाव के आकलन के संबंध में कोई अध्ययन किया है;
(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में जनजाति आबादी सहित विभिन्न शिक्षा परिणामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रबंध किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने दूर-दराज के गांवों पर ध्यान दिया है जहां इंटरनेट सुविधा नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) छात्रों के शिक्षण परिणामों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेताधिकार में हैं। विभाग द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के स्कूलों के लिए जुलाई, 2020 में एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था। तदुपरांत, बच्चों के लिए डिजिटल उपकरणों के विभिन्न रूपों की उपलब्धता के संबंध में 2021 की शुरुआत में और सर्वेक्षण किए गए। एनवीएस ने 92.95% और केवीएस ने 98% से अधिक छात्रों के पास किसी डिजिटल डिवाइस तक पूर्ण या आंशिक पहुंच होने की सूचना दी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 01.02.2021 के पत्र द्वारा डिजिटल उपकरणों तक पहुंच वाले और बिना पहुंच वाले बच्चों का सर्वेक्षण करने की सलाह दी गई थी। बिना डिजिटल उपकरणों वाले बच्चों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणाम का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ङ) छात्रों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा), स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स (स्वयं), डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रज्ञाता दिशानिर्देश, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (एनआरओईआर) के राष्ट्रीय भंडार पर ई-पाठ्यपुस्तकें और ई-सामग्री, प्रेक्टिकल संबंधी ई-सामग्री के लिए ऑनलाइन वर्चुअल लैब (ओएलएबीएस), अनुभवात्मक शिक्षा और योग्यता-आधारित

शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षकों हेतु विशेष संसाधनों के लिए गतिविधि-आधारित और अत्यधिक आकर्षक मॉड्यूल, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों आदि के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए उनकी समग्र उन्नति संबंधी राष्ट्रीय पहल) ऑनलाइन का उपयोग स्कूलों द्वारा अधिगम सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है।

ऑनलाइन शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए, यूजीसी ने आवश्यक विनियमन को अधिसूचित किया है, जो विश्वविद्यालयों को पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम पेश करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, यूजीसी स्वयं और ओडीएल विनियमों के प्रावधानों के अनुसार एक कार्यक्रम में 20 प्रतिशत ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के मौजूदा प्रावधानों को "कोविड-19 के दौरान राष्ट्रीय हित" को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है और ई-संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (अर्पित) भी शुरू किया है, जो एमओओसी प्लेटफॉर्म स्वयं का उपयोग करते हुए 1 उच्चतर शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास की एक प्रमुख और अनूठी पहल है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न डिजिटल पहल शुरु की जा रही है जैसे स्वयम, स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, एफओएसएसईई (फ्री ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन) आदि। गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं जो एक स्वदेशी रूप से विकसित एमओओसी (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) प्लेटफॉर्म है।

पीएम ईविद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा के मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पहल में शामिल हैं, जहां कार्य प्रगति पर है:

- दीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा: और सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोडित एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) ।
- 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल (एक वर्ग, एक चैनल)
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग- शिक्षा वाणी
- डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेज़ी) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित दृष्टीबाधित और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई-सामग्री

छात्रों द्वारा दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं एमओओसी, ई-पाठशाला, एनआईओएस सामग्री जैसी पहलों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।
सरकार द्वारा की गई पहल सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है। इस का लिंक है https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/DOSEL_COMPILATION_ON_COVID_ACTIVITIES.pdf.

जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां शिक्षा मंत्रालय ने कई पहल की हैं जैसे स्वयं प्रभा के एक कक्षा एक चैनल का उपयोग टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और एक डीटीएच चैनल विशेष रूप से सांकेतिक भाषा में श्रवण बाधित छात्रों के लिए संचालित किया जा रहा है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन और एक पॉडकास्ट जिसे सीबीएसई की शिक्षा वाणी कहा जाता है, शिक्षार्थियों के निवास पर पाठ्यपुस्तकें, वर्कशीट, 21 वीं सदी के कौशल पर हैंडबुक उपलब्ध करना। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का नवाचार कोष का उपयोग मोबाइल स्कूल, वर्चुअल स्टूडियो, स्कूलों में वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने के लिए किया जाना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सतत अधिगम योजना (सीएलपी) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के तहत प्री-लोडेड टैबलेट का प्रभावी उपयोग दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है जहां ऑनलाइन कक्षाएं कठिन होती हैं।

*****

अनुबंध

'कोरोना के दौरान शिक्षा' विषय के संबंध में माननीय संसद सदस्य एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री शंकर लालवानी, सुश्री सुनीता दुग्गल द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बिना डिजिटल उपकरणों वाले बच्चों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं
2.	आंध्र प्रदेश	201568
3.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं
4.	असम	3106255
5.	बिहार	14336007
6.	चंडीगढ़	16032
7.	छत्तीसगढ	28.27%
8.	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	18849
9.	दिल्ली	4%
10.	गोवा	उपलब्ध नहीं
11.	गुजरात	591590
12.	हरियाणा	1034000
13.	हिमाचल प्रदेश	22259
14.	जम्मू और कश्मीर	70%
15.	झारखंड	3252255
16.	कर्नाटक	3131098
17.	केरल	95283
18.	लद्दाख	43876
19.	लक्षद्वीप	2439
20.	मध्य प्रदेश	70%
21.	महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं
22.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं
23.	मेघालय	85659
24.	मिजोरम	44062
25.	नगालैंड	33150
26.	उड़ीसा	1508937
27.	पुदुचेरी	8314
28.	पंजाब	42.85
29.	राजस्थान	0
30.	सिक्किम	21000
31.	तमिलनाडु	1750000
32.	तेलंगाना	117570
33.	त्रिपुरा	13909
34.	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं
35.	उत्तराखंड	214471
36.	पश्चिम बंगाल	सर्वेक्षण प्रगति पर है

*****